कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा/अ–3/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2018/74 दिनांक : 08.03.18

(1) समस्त मण्डल उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

महत्वपूर्ण
अत्यावश्यक

विषयः– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2018 के सुचारू आयोजन एवं निरीक्षण दलों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के निर्विघ्न निरीक्षण कार्य सम्पादन बाबत् ।

प्रसंगः– समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 28.02.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक निर्देश पत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2018 के सुचारू आयोजन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही परीक्षाओं के सुव्यस्थित संचालन एवं किसी भी प्रकार की अनियमितओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु परीक्षा केन्द्रों, उत्तरपुस्तिका संग्रहण/वितरण केन्द्रों के सतत् एवं सघन निरीक्षण हेतु बोर्ड द्वारा जिला, मण्डल एवं राज्य स्तर पर विभिन्न उड़नदस्तों का गठन किया गया है तथा इस कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय उड़न दस्ते का गठन किया गया है। उड़नदस्तों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के प्रभावी निरीक्षण, समुचित सुरक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा केन्द्रों पर विद्यार्थी हितार्थ समुचित व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता के कम में एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. समस्त उड़नदस्तों के परीक्षा केन्द्र तक सुगम पहुंच की सुनिश्चितता हेतु यह आवश्यक है कि समस्त परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा आयोजन की समयावधि में मुख्य प्रवेश द्वार खुले रखा जाएं तथा केन्द्र परिसर में किसी भी आवांछित अथवा असम्बद्ध व्यक्ति की पहुंच प्रतिषेध हेतु सम्पूर्ण परीक्षा अवधि में विद्यालय कार्मिक/चौकीदार/पुलिस कर्मचारी/होमगार्ड की मुख्य प्रवेश द्वारा पर मुकम्मल मुस्तैदी से तैनातगी सुनिश्चित की जाए । केन्द्राधीक्षक द्वारा उक्त व्यवस्था की सुनिश्चितता करते हुए यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी अधिकृत उड़न दस्ते अथवा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परीक्षा व्यवस्था के निरीक्षण के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र तक पहुंचने में किसी भी प्रकार के अवरोध अथवा विलम्ब की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। परीक्षा केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार के अन्दर से बंद रखे जाने तथा उड़न दस्ते अथवा निरीक्षण दल को परीक्षा कक्षों तक पहुंचने में विलम्बकारी स्थितियां उत्पन्न होने से परीक्षा कक्षों में किसी अनियमितत गतिविधि अथवा सामूहिक/व्यक्तिगत नकल करने/करवाने जैसे संशय निवारण हेतु समस्त केन्द्राधीक्षक मुख्य प्रवेश द्वार को परीक्षा अवधि के दौरान खुला रखा जाना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात् एकल/नॉडल परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों की समुचित सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण विद्यालय भवन में प्रतिदिन सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हेतु आवश्यक चौकसी बरतते हुए ड्यूटी पर तैनाक शिक्षक/कार्मिक एवं चौकीदार/सुरक्षाकर्मी द्वारा मुख्य प्रवेश द्वार को पूर्णतः बंद रखा जाएगा ।
2. समस्त केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्रों पर विद्यार्थियों को समुचित सुविधाएं यथा – पानी, शौचालय, प्रकाश आदि की व्यवस्था स्वयं रूचि लेकर उपलब्ध करवाएंगे तथा किसी भी विद्यार्थी के समक्ष स्वास्थ्य सम्बन्धी अवांछित स्थिति के उत्पन्न होने से अग्रिम बचाव हेतु प्राथमिक चिकित्सा उपचार पेटिका (FIRST AID BOX) की उपलब्धता परीक्षा केन्द्र पर सुनिश्चित करेंगे, साथ ही परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की असहज एवं

Scanned by CamScanner

अस्वास्थ्यकर स्थितियों यथा – दुर्गंध, सीलन इत्यादि का तत्काल व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर निस्तारित करवाएंगे ।

सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों की तत्काल पालना करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा , राजस्थान, बीकानेर ।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त जिला कलक्टर ।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक – प्रथम/द्वितीय ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब – साईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
10. स्टाफ ऑफिसर , कार्यालय हाजा ।
11. रक्षित पत्रावली ।

8/3

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner